करणी सेना नेता को गंभीर परिणाम भुगतने की मिली धमकी

▶ लव जिहाद और ड्रग्स के खिलाफ खोल रखा है मोर्चा

इंदौर. हीरानगर इलाके में एक संगठन से जुड़े पदाधिकारी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देने का मामला सामने आया है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना 20 फरवरी की रात की बताई जा रही है.

मानसिंह राजावत ने नव भारत प्रतिनिधि को बताया कि वह करणी सेना में प्रदेश संगठन मंत्री के दायित्व पर हैं, देर रात हीरानगर थाने पहुंचकर पुलिस को बताया कि रात में एक अनजान नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले ने पहले पहचान की पुष्टि की, फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें और उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी. साथ ही खजराना क्षेत्र में दिखने पर जान से मारने की बात कही. राजावत ने पूरी बातचीत मोबाइल में सुरक्षित कर ली थी. बाद में यह ऑडियो वरिष्ठ पदाधिकारियों को भेजा और साक्ष्य के रूप में पुलिस को सौंपा. पुलिस ने संबंधित मोबाइल नंबर के आधार पर तकनीकी जांच शुरू की है.

मंदसौर के व्यक्ति के नाम पर दर्ज नंबर से आया कॉल

प्राथमिक पड़ताल में पता चला है कि कॉल जिस नंबर से किया गया, वह मंदसौर निवासी मरहूफ कादरी मंसूरी के नाम से दर्ज है. हालांकि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह नंबर वास्तविक उपयोगकर्ता के पास था या किसी और के कब्जे में. संभावित आरोपी की तलाश जारी है. ज्ञात हो कि राजावत करीब डेढ़ दशक से संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय हैं. उनका कहना है कि पूर्व में भी उन्हें धमकियां मिलती रही हैं और एक बार उनके घर के बाहर अज्ञात लोगों द्वारा हमला करने की कोशिश भी की गई थी. राजावत ने बताया कि हाल ही में लसूड़िया क्षेत्र में मादक पदार्थ से जुड़े एक मामले में पुलिस को सक्रिय कराया था. इसके अलावा तिलक नगर इलाके में छेड़छाड़ से जुड़े प्रकरण में भी हस्तक्षेप किया था. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है.

पारिवारिक विवाद के चलते फांसी लगाकर किया सुसाइड

▶ पत्नी की दूसरी शादी करने की इच्छा से था परेशान

इंदौर. गांधी नगर इलाके में एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर जीवन समाप्त करने की घटना सामने आई है. मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू की.

गांधी नगर थाना प्रभारी अनिल यादव ने बताया कि 40 वर्षीय मृतक पप्पू पिता उमराव सिंह है, वह अपने बच्चों के साथ घर में रह रहा था. घटना की जानकारी तब हुई जब बच्चे कमरे में पहुंचे और पिता को फंदे पर लटका देखा. शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे और पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना से कुछ समय पहले पप्पू और उसकी पत्नी ज्योति से मोबाइल पर बातचीत हुई थी. दोनों के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था. बातचीत के दौरान पत्नी ने साथ रहने से मना करते हुए दूसरी शादी की इच्छा जताई थी. इसके बाद वह मानसिक रूप से व्यथित होकर कमरे में चला गया और आत्मघाती कदम उठा लिया.

पति-बच्चों को छोड़ अलग रह रही थी पत्नी

मृतक के पिता उमराव सिंह के अनुसार बेटे के मोबाइल फोन में अंतिम बातचीत का ऑडियो सुरक्षित मिला है. पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिया है और रिकॉर्डिंग की सत्यता की जांच करा रही है, ताकि परिस्थितियां पूरी तरह स्पष्ट हो सकें. बताया गया है कि करीब दो वर्ष पहले दांपत्य विवाद के चलते पत्नी अलग रहने लगी थी और दोनों बच्चों की जिम्मेदारी पप्पू पर थी. वह मूल रूप से बड़वानी जिले का निवासी था और इंदौर में रहकर हम्माली का कार्य कर परिवार का पालन-पोषण कर रहा था. मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल और मोबाइल डेटा के विश्लेषण के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.

पति के साथ दूसरी महिला को देखकर भड़की पत्नी

▶ दोनों महिलाएं बीच सड़क पर भिड़ी, जमकर चले लात-घूंसे

इंदौर. सिमरोल थाना इलाके में दो महिलाएं बीच सड़क पर एक-दूसरे से भिड़ गईं. उनमें जमकर लात-घूंसे चले. मामला पति के साथ दूसरी महिला को बाजार में देखने से शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. पुलिस ने पीड़ित पत्नी की शिकायत पर आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

सिमरोल पुलिस के मुताबिक, घटना एक दुकान के सामने की है. फरियादी रोशनी पति मोहन सैनी ने पुलिस को बताया कि जब वह बाजार गई थी, तो उसने अपने पति मोहन को कल्लोबाई उर्फ मंजू नाम की महिला के साथ घूमते हुए देखा. पति को दूसरी महिला के साथ देख रोशनी अपना आपा खो बैठी और उसने मंजू से सीधे सवाल कर दिया- तू मेरे पति के साथ बाजार क्यों आई है? इतना सुनते ही आरोपी कल्लोबाई भड़क गई और उसने सरेराह रोशनी को गालियां देना शुरू कर दिया. विवाद इतना बढ़ा कि कल्लोबाई ने रोशनी पर हमला कर दिया और उसके साथ लात-घूंसों से मारपीट की. बीच बाजार में हो रहे इस ड्रामे को देख लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. बाद में आसपास के लोगों ने हस्तक्षेप कर बीच-बचाव किया और मामला शांत कराया. मारपीट के बाद रोशनी सीधे थाने पहुंची और आपबीती सुनाई. पुलिस ने आरोपी कल्लोबाई उर्फ मंजू के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सूने मकान का ताला तोड़कर की चोरी

इंदौर. लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित ओमेक्स सिटी वन कॉलोनी में दिनदहाड़े सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात सामने आई है. अज्ञात बदमाश ने घर में घुसकर मोबाइल फोन, टैबलेट, सोने-चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया. थाना प्रभारी तारेश कुमार सोनी ने बताया कि 38 वर्षीय फरियादी निशा बगेरिया निवासी मकान नंबर 115, शुभागन ओमेक्स सिटी वन, ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात व्यक्ति उनके घर का मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा. घर के भीतर रखी अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे विवो वी9 मोबाइल फोन, सैमसंग गैलेक्सी टैब ए7, सोने-चांदी के आभूषण और नगद राशि चोरी कर ली. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया.

तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा मंहगा

▶ पुलिस ने साउंड सिस्टम व वाहन किया जब्त

इंदौर. तय समय और ध्वनि सीमा का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाना एक आयोजक को महंगा पड़ गया. खजराना पुलिस ने वेलोसिटी टॉकीज के पास बिना अनुमति संचालित हो रहे डीजे पर कार्रवाई करते हुए साउंड सिस्टम और डीजे वाहन जब्त कर प्रकरण दर्ज किया है.

थाना प्रभारी मनोज सिंह सेंधव ने बताया कि शहर में ध्वनि प्रदूषण और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत मुखबिर से सूचना मिली थी कि वेलोसिटी टॉकीज के समीप बिना अनुमति डीजे संचालन कर निर्धारित समय व ध्वनि मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और डेसिबल मीटर एप से जांच की, जिसमें ध्वनि स्तर तय सीमा से अधिक पाया गया. पुलिस ने मौके से डीजे साउंड सिस्टम व वाहन जब्त कर संबंधित संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. कार्रवाई में पकड़ा गया डीजे संचालक 21 वर्षीय करण गौड़ निवासी नट कॉलोनी, चंदन नगर का रहने वाला है.

तलाक के विवाद में पत्नी पर पेचकस से किया हमला

इंदौर. एमआईजी थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में तलाक संबंधी विवाद के चलते पति द्वारा पत्नी से मारपीट और पेचकस से हमला करने का मामला सामने आया है.

घायल महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी सीबी सिंह ने बताया कि 39 वर्षीय फरियादिया पार्वती सुनहरे ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण वे घर पर ही थीं. इसी दौरान उनके 44 वर्षीय पति गणेश सुनहरे घर पहुंचे और न्यायालय में चल रहे तलाक प्रकरण को लेकर विवाद करने लगे. पत्नी का आरोप है कि पति ने उन्हें अश्लील गालियां दीं और घर से बाहर निकलने के लिए दबाव बनाया.

एक नजर में

ग्राहक पंचायत सचिव ने अधिकारों के प्रति किया जागरूक

महू. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मालवा प्रांत के सचिव बहादुर सिंह राजपूत रविवार को डीएचएल कालोनी स्थित ग्राहक मार्गदर्शन केन्द्र पहुंचे. इस दौरान उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं और नागरिकों को ग्राहक अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए विभिन्न समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया समझाई. श्री राजपूत ने पेयजल जैसी मूलभूत समस्या पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा, यदि घरों में दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है, तो यह सीधे तौर पर स्वास्थ्य और ग्राहक अधिकारों का उल्लंघन है. इसके लिए सबसे पहले ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत में लिखित शिकायत दर्ज करानी चाहिए. यदि वहां से समस्या का निराकरण नहीं होता है, तो ग्राहकों को बिना संकोच एसडीएम कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए. बैठक में ग्राहक जागरण के अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी मार्गदर्शन दिया गया, जिसमें बाजार में होने वाली धोखाधड़ी से बचने और सही मंच पर अपनी आवाज उठाने के तरीकों पर चर्चा हुई. इस अवसर पर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

मेवाड़ यूनिवर्सिटी को हराकर सिटी क्लब रतलाम चैंपियन

महू. अखिल भारतीय स्वर्गीय माधवराव सिंधिया गोल्ड कप फुटबॉल स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में सिटी क्लब रतलाम ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी चितौड़गढ़ को हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया. मैच के उपरांत हुए पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता टीम को नकद राशि 51 हजार रुपए और उपविजेता को 21 हजार रुपए तथा ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया गया. साथ ही कई विशेष पुरस्कार और व्यक्तिगत पुरस्कार भी प्रदान किए गए. इस फाइनल मुकाबले की अध्यक्षता विधायक सुश्री उषा ठाकुर ने की. मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर, विशेष अतिथि के रूप में पाथ इंडिया के डायरेक्टर नितिन अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार ललित उपमन्यु, बनवारी रैकवार और कर्नल शैलेंद्र कुमार उपस्थित थे. अतिथियों का स्वागत स्पर्धा के संयोजक मुकेश शर्मा, अध्यक्ष सरदार मालवीय, उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह दरबार, सुरेश वैद्य, मोहम्मद इस्लामुद्दीन, शशि यादव, डैनी हतुनिया, अरुण उपाध्याय, मनीष जैन, अमन वैद्य, मोमिन, नितिन यादव आदि ने किया. इस अवसर पर इन बॉडी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से खिलाड़ियों और रेफरियों का अत्यधिक आधुनिक मशीन से बॉडी असेसमेंट किया गया. कार्यक्रम का संचालन सुंदरदास हेमनानी ने किया. आभार मुकेश शर्मा ने प्रकट किया.

ग्राम भिचौली में मनावर विधायक का आत्मीय स्वागत किया

महू. ग्राम भिचौली में मनावर विधायक हीरालाल अलावा का ग्रामीणों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया. जिला कांग्रेस प्रवक्ता जुगनू जादवसिंह धनावत ने बताया ने बताया कि इस अवसर पर मुख्य रूप से जुगनू जादवसिंह धनावत, घनश्याम यादव, जनपद सदस्य मनोहर गावड़, भारत मीणा, मनोज वास्केल, राजमल बारिया, जितेंद्र यादव सहित अनेक कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे.

पत्रकार विशाल शर्मा की याद में की गौ सेवा

महू. पत्रकार विशाल शर्मा की जन्म जयंती पर विशाल पत्रकार उत्सव समिति द्वारा राधा कृष्ण गौ शाला में गौ सेवा की गई. गौ शाला में समिति के सदस्यों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए. इसके बाद गायों को हरा चारा खिलाया गया. इस मौके पर समिति के कपिल शर्मा, प्रणय जैन, अनुज महेश्वरी, अंकित नीम, हर्षल गहलोत, सुनील काले, विक्रम जेस, श्याम खांडेकर, सहित वरिष्ठ नागरिक एवं समाजसेवी मौजूद थे. उल्लेखनीय है कि विशाल पत्रकार उत्सव समिति द्वारा नि.शुल्क गरबा, रक्त दान सहित समाजसेवा के अनेक कार्य पूरे साल किए जाते हैं.

ट्रांसफार्मर जला पूरा गांव अंधेरे में रहा

▶ दो दिन में बदलाव नहीं हुआ तो बिजली मंडल शिप्रा का घेराव करेंगे ग्रामीण

इंदौर. शिप्रा क्षेत्र के ग्राम पुवाड़ला हप्पा में सरकारी गोदाम के पास स्थित ट्रांसफार्मर जल जाने से पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है. ग्रामीणों का आरोप है कि डीपी में आग लगने की सूचना विद्युत मंडल को पूर्व में दी गई थी, लेकिन समय रहते ध्यान नहीं दिया.

किसान नेता हंसराज मंडलोई नेबताया कि ट्रांसफार्मर गांव के बीच स्थित है और इसके जलने से बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है. ग्रामीणों के अनुसार अब तक न तो सुपरवाइजर मौके पर पहुंचे और न ही लाइनमैन ने सुधार कार्य किया. गांववासियों ने चेतावनी दी है कि यदि दो दिन के भीतर ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो वे विद्युत मंडल शिप्रा कार्यालय का घेराव करेंगे. ग्रामीणों ने कहा कि किसी भी स्थिति की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी.

शराब दुकान के पास चाकूबाजी, तीन घायल

इंदौर. खुड़ैल थाना क्षेत्र के देवगुराड़िया में बीती रात मामूली पूछताछ को लेकर हुआ विवाद चाकूबाजी में बदल गया. शराब दुकान के पास बने मैदान में बीयर पी रहे तीन दोस्तों पर दो अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. थाना प्रभारी कन्हैई सिंह शेखावत ने बताया कि फरियादी आदित्य अपने साथी रोहित और विश्वजीत के साथ मैदान में बैठे थे, तभी पास में ही दो अन्य अज्ञात व्यक्ति भी शराब पी रहे थे. आदित्य ने जब उनसे सामान्य लहजे में पूछा कि आप लोग कहां से हो, तो आरोपी भड़क गए और गालियां देने लगे. गाली-गलौज का विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू निकालकर तीनों पर वार कर दिए. हमले के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले.

नए आपराधिक कानून और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर मिला प्रशिक्षण

▶ अभियोजन अधिकारियों की संभागीय कार्यशाला सम्पन्न

इंदौर. लोक अभियोजन मध्यप्रदेश, भोपाल के तत्वावधान में इंदौर संभाग के अभियोजन अधिकारियों की व्यावसायिक दक्षता संवर्धन के लिए एक दिवसीय संभागीय कार्यशाला सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होटल अमर विलास में आयोजित की गई.

कार्यशाला का आयोजन उपनिदेशक अभियोजन राजेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में किया. कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला, उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने किया. विशेष अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आरके सिंह उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता संचालक लोक अभियोजन मध्यप्रदेश बीएल प्रजापति ने की. दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ. उद्घाटन सत्र में स्वागत भाषण राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने दिया. संचालक बीएल प्रजापति ने नवीन आपराधिक कानून 2023 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बदलते विधिक परिदृश्य में अभियोजन अधिकारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए ऐसे प्रशिक्षण आवश्यक हैं और भविष्य में भी इस प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी.

न्यायमूर्ति शुक्ला ने एट्रोसिटीज एक्ट में अभियोजन की प्रभावी भूमिका पर डाला प्रकाश

मुख्य वक्ता न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला ने एससी/एसटी (एट्रोसिटीज) एक्ट 1989 के अंतर्गत प्रकरणों में अभियोजन की प्रभावी भूमिका पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया. वहीं वाणिज्यिक न्यायालय इंदौर के न्यायाधीश अमित सिंह सिसोदिया एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मंदसौर चिराग अरोड़ा ने नवीन आपराधिक कानून 2023 के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया. जबकि मनोवैज्ञानिक ईशा देशपांडे ने पैरवी के दौरान तनाव प्रबंधन पर व्याख्यान दिया, जबकि कार्यक्रम के प्रारंभ में योगाचार्य डॉ. दक्षदेव गौड़ ने मेडिटेशन कराया. कार्यशाला में इंदौर संभाग के विभिन्न जिलों से शासन की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारियों ने सहभागिता की. समापन सत्र में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए. आभार प्रदर्शन अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरती भदौरिया ने किया तथा संचालन ज्योति आर्य ने किया.

एक नजर ▶ लगातार बढ़ रहे महिला उत्पीड़न, दुष्कर्म, मादक पदार्थों का अवैध कारोबार, रंगदारी और गुंडागर्दी के मामले

बढ़ते अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी पुलिस की चुनौती बने

इंदौर। इंदौर में बढ़ते अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी (ड्रग माफिया) ने शहरवासियों को चिंता में डाल रखा है. इंदौर देश के सबसे साफ शहर (नंबर 1) के रूप में अपनी पहचान बना चुका है, लेकिन आपराधिक गतिविधियों, विशेषकर नशीले पदार्थों (एमडी ड्रग) की तस्करी और युवा पीढ़ी में नशे की लत ने पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है. हालांकि, पुलिस प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कई ठोस कदम उठाए हैं और कुछ बड़ी कार्रवाई भी की हैं, लेकिन पुलिस के लिए यह चुनौती बढ़ती जा रही है.

इंदौर शहर देश में स्वच्छता के मामले में लगातार 8 बार से नंबर वन का स्थान हासिल कर चुका है और ग्रीन सिटी के रूप में भी पहचान बना रहा है. यातायात सुधार के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार दिखाई देता है, लेकिन दूसरी ओर शहर में बढ़ते अपराध चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. महिला उत्पीडन् और दुराचार के मामलों में वृद्धि हो रही है. मादक पदार्थों का अवैध कारोबार, वसूली-रंगदारी और गुंडागर्दी जैसी घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं. वहीं नशा माफियाओं की बढ़ती सक्रियता से खासकर युवा नशे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है. जागरूक नागरिकों का मानना है कि जिस तरह स्वच्छता और यातायात में सख्त नीति अपनाई गई, उसी तरह अपराध नियंत्रण के लिए भी ठोस रणनीति और निरंतर कार्रवाई जरूरी है. वहीं, वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि शहर को जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम की नीति अपनाकर अपराध नियंत्रण में भी नंबर वन बनना चाहिए.

यह बोले जागरूक नागरिक...

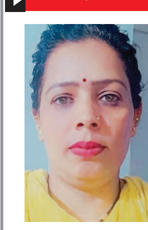

शहर साफ-सुथरा है, लेकिन महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करतीं. रात में निकलने से डर लगता है. प्रशासन को महिला सुरक्षा पर सख्त कदम उठाने चाहिए तभी असली विकास माना जाएगा.
- संगीता लशकरी, युवा नेत्री

ट्रैफिक व्यवस्था सुधरी है, पर अपराध बढ़ रहे हैं. पुलिस को नशा माफियाओं के जाल को तोडना होगा. नशे और गुंडागर्दी पर कड़ा एक्शन लेना होगा. ऐसे तत्वों में कानून का डर जरूरी है.
- सैय्यद अशरफ अली, समाज सेवी

आज शहर में नशे और अपराध का माहौल बना हुआ है, जो युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है. हमें शहर में सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे.
- शम्भू चौधरी, युवा

चार स्थानों से चार नाबालिगों के लापता होने पर प्रकरण दर्ज

▶ गौतमपुरा, लसूड़िया, गांधी नगर और मल्हारगंज थाना क्षेत्र की घटनाएं

इंदौर. जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों गौतमपुरा, लसूड़िया, गांधी नगर और मल्हारगंज में 15 से 21 फरवरी के बीच नाबालिग बालक-बालिकाओं को बहला-फुसलाकर ले जाने की चार घटनाएं सामने आई हैं. किसने वारदात को अंजाम दिया, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है. सभी मामलों में परिजनों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है.

पहला मामला गौतमपुरा थाना क्षेत्र का है, यहां के हरिजन मोहल्ला में रहने वाले 42 वर्षीय गणेश खिंची ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 21 फरवरी की सुबह करीब 10:30 बजे उनकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. इसी तरह लसूड़िया थाना क्षेत्र में चद्दर बस्ती नर्सरी ढाबली सिंगापुर टाउनशिप में रहने वाले राहुल राठौर ने शिकायत की कि 20 फरवरी की सुबह करीब 10 बजे उनकी बहन को कोई अज्ञात आरोपी बहला-फुसलाकर ले गया. इसी तरह गांधी नगर थाना क्षेत्र के कस्तूर नगर में रहने वाले 45 वर्षीय विजय कुमार पाटले ने पुलिस को बताया कि 15 फरवरी दोपहर करीब 3 बजे उनकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात बदमाश अपने साथ ले गया.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

वहीं मल्हारगंज थाना क्षेत्र की लक्ष्मीपुरी कॉलोनी में रहने वाली कृतिका मानकर ने शिकायत दर्ज कराई कि 20 फरवरी की शाम 5:30 से 6 बजे के बीच उनका नाबालिग बेटा बिना बताए घर से चला गया. चारों मामलों में पुलिस ने गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए विशेष टीमों को सक्रिय किया है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी.